डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजीयन क्रमांक छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ. रायपुर/17/2001.

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2002—माघ 26, शक 1923

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2001

क्रमांक एफ-2-13/2001/1-8.—श्री डी. एस. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर, जिनकी सेवायें विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी जा रही है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य तथा संसदीय कार्य विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2002

क्रमांक 192/130/2002/1-8/स्था.—श्री डी. एस. त्रिपाठी, मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 31-12-2001

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

से 11-1-2002 तक 12 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 12 एवं 13-1-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री त्रिपाठी को पुनः मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री त्रिपाठी को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. रघुवंशी, अवर सचिव

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2002

क्रमांक एफ. ए. 10-1/2002/1/एक.—राज्य शासन डॉ. आर. एल. एस. यादव, भारतीय पुलिस सेवा (जो 31-1-2002 अपराह्न से सेवानिवृत्त हो रहे हैं.) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के पद पर नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2002

क्रमांक एफ. ए. 10-1/2002/1/एक.—राज्य शासन द्वारा श्री आर. एल. वर्मा, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी (सेवानिवृत्त) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार (क्रीडा) के पद पर नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2001

क्रमांक 6693/डी-2912/21-ब.—श्री डी. एस. जैन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छत्तीसगढ़) की सेवाएं प्रमुख सचिव, विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, रायपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2002

क्रमांक.3(ए)/5/2002-इक्कीस-ब.—राज्य शासन, निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को वर्ष 2002 में अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप तालिका में उनके नाम के समक्ष स्तंभ क्रमांक 4 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्द्वारा, स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र. (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पद (2)	जन्मतिथि (3)	सेवानिवृत्ति का दिनांक (4)
1.	श्री बृजमोहन टंडन जिला न्यायाधीश (सतर्कता) रायपुर.	10-1-1942	31-1-2002
2.	श्री रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, बिलासपुर.	15-5-1942	31-5-2002
3.	श्री लखन लाल जोगवंशी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालौद (दुर्ग).	1-7-1942	30-6-2002
4.	श्री धर्मेन्द्र स्वरूप जैन प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर.	9-7-1942	31-7-2002
5.	श्री नवल सिंह राजपूत जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्तर, स्थान जगदलपुर.	5-8-1942	31-8-2002
6.	श्री दिनकर कांशीनाथ दामले, विशेष न्यायाधीश, दुर्ग.	17-9-1942	30-9-2002

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2002

क्रमांक 3 (ए)/4/2002/21-ब.—राज्य शासन द्वारा श्री एन. एस. राजपूत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर की सेवायें राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण, रायपुर में पीठासीन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2002

क्रमांक 1080/डी-78/21-ब/छ.ग./2002.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 226/11-2-17/2001, दिनांक 14-1-2002 के परिप्रेक्ष्य में श्री एच. आर. गुरुपंच, उप-सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग की सेवाएं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर में विधि अधिकारी/विधिक सलाहकार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर को सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2002

क्रमांक 1105/डी-273/21-ब/छ.ग./2002.—राज्य शासन, श्री आर. एन. चन्द्राकर, विशेष न्यायाधीश, अंबिकापुर की सेवायें राज्य प्रशासनिक अधिकरण, रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का सौंपी जाती हैं.

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2002

क्रमांक 1106/डी-273/21-ब/छ.ग./2002.—राज्य शासन, श्री तपन कुमार चक्रवर्ती, रजिस्ट्रार, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, रायपुर की सेवायें मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से वापिस ली जाकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2002

क्रमांक एफ 2/13/गृह/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.
   (2) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा.

2. समय-समय पर, यथा संशोधित ऐसी विधियां जो छत्तीसगढ़ इस आदेशक की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक की वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

क्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981.
2.	सार्वजनिक धूत अधिनियम, 1867.
3.	मध्यप्रदेश सार्वजनिक आदेश रक्षा अधिनियम, 1965.
4.	मध्यप्रदेश संगीत और ध्वनि नियंत्रण अधिनियम, 1965.
5.	सी. पी. एवं बरार (होम गार्डस्) अधिनियम तथा नियम, 1947.
6.	मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974.
7.	मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979.

(1)	(2)
8.	पुलिस विनियम.
9.	मध्यप्रदेश चलचित्र नियमन अधिनियम, 1952.
10.	भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884.
11.	सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1952.
12.	मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990.

Raipur, the 24th January 2002

No. F-2/13/Home/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation of Law's Order, 2002.
   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the first day of November,2000.

2. The Laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended, or subject to the modification that in all the Laws for the words "Madhya Pradesh" weherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the Laws specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Laws (2)
1.	M. P. Docoity Affected Area Act, 1981.
2.	Public Gambling Act, 1867.
3.	M. P. Maintenance of Public Order Act, 1965.
4.	M. P. Control of Music & Noise Act, 1965.
5.	C. P. & Berar (Homeguards) Act and Rules, 1947.
6.	M. P. Lok Parisar Bedakhli Adhiniyam, 1974.
7.	M. P. Atyavashyak Sewa Sandharan tatha Vichchhinnata Nivaran Adhiniyam, 1979.
8.	Police Regulations.
9.	M. P. Cinema (regulations) Act, 1952.
10.	Indian Explosive Act, 1884.
11.	Cinematograph Act, 1952.
12.	M. P. Rajya Suraksha Adhiniyam, 1990.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. राजपाल, विशेष सचिव.

लो. नि., आवास, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन व विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2002

क्रमांक 258/वि.स./आ.प./2002.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 के अंतर्गत श्री विवेक ढांड, सचिव, लो. नि., आवास, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन व विकास विभाग को अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पद पर एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2001

क्रमांक 1165/424/आ.पर्या./2001.—छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 में, उस संशोधन को, जिसे राज्य सरकार छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, करना प्रस्तावित करती है, निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1)

द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों को, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है. जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर, उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

ऐसी किसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में, किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व, प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

नियम-16 के अंत में निम्न पैरा जोड़ा जावें :—

आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत संरचना इंजीनियर वास्तुविद् का यह प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न किया जावे कि इस नियम के नियम 84 में प्रावधित (भूकम्प प्रभावित क्षेत्र हेतु आवश्यक) समस्त आवश्यकताएं सुनिश्चित की गई है.

नियम 26 उपनियम (1) में इंजीनियरों के पश्चात् अग्नि शमन विज्ञान इंजीनियर अन्त: स्थापित किया जाए.

नियम 26 के उपनियम (2) में नया खण्ड 6 स्थापित किया जावे .

पदनाम	न्यूनतम अर्हता
अग्नि शमन विज्ञान इंजीनियर	मान्यता प्राप्त संस्था से अग्नि निवारण एवं अग्नि शमन विज्ञान इंजीनियरिंग में या समकक्ष अर्हता.

फीस अनुज्ञप्ति मंजूर करने की वार्षिक फीस निम्नानुसार होगी :—

(एक) वास्तुविद, संरचना इंजीनियर, इंजीनियर तथा नगर योजनाकार के लिए रु. 500.00.

(दो) पर्यवेक्षकों के लिए रु. 250.00.

(तीन) समूह या एजेंसी के लिए रु. 1250.00

(चार) अग्नि शमन विज्ञान इंजीनियर के लिए रु. 500.00

नियम 84 में निम्नानुसार पैरा जोड़ा जाये :—

12.5 मीटर या इससे ऊंचे भवनों हेतु तथा इंजीनियरिंग संरचना में निम्नानुसार विशिष्ट प्रावधान रखा जावे. आर.सी.सी. एवं ईंट के पक्के निर्माण हेतु—

(1) आय. एस. : 1893-1986

(2) आय. एस. : 13920-1993 (आय. एस. 456, आय. एस. 1893 के साथ पढ़ा जावे).

(3) आय. एस. : 4326-1993 (आय. एस. 1893 के साथ पढ़ा जावे) अर्द्ध पक्का मिट्टी गारा और अन्य निर्माणों हेतु.

(4) आय. एस. : 13827-1993

(5) आय. एस. : 13828-1993 मरम्मत एवं अन्य हेतु.

(6) आय. एस. : 13935-1993

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, उप-सचिव.

रायपर, दिनांक 7 दिसम्बर 2001

क्रमांक 1165/424/आ.पर्या./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड "ख" के अनुसरण में आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1165/424/आ. पर्या./2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 7th December 2001

No. 1165/424/H. P./2001.—The following draft of ammendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam 1984 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section (1) of Section 85 read Sub Section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nevesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) hereby published as required by Sub section (1) of Section 85 of the said Act. for the information of all persons likely be attended thereby and notice is hereby given that the and draft will be taken into consideration on the expiry of Thirty Days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

AMENDMENTS

PROPOSED AMENDMENTS

At the End of Rule 16 following para shall be added :—

The application shall also be accompained by

Structural Engineer/Architect of the building ensuring all provisions of Rule 84 (for Earthquake prone areas) of this Niyam.

In Rule 26 (1) Fire Safety Engineer/Architect of the building ensuring all provisions of Rule 84 (For Earthquake prone areas) of this Niyam.

In Rule 26 (i) Fire Safety Engineer shall be added.

Designation	Minimum Qualification
6. Fire Safety Engineer	Graduate in Fire protection Engineering or equivalaent from recognised institute by the Govt.

Fee : The Annual fee for grant of License shall be as under :

(i)	For Architect, Structural Engineer, Engineer Town Planner.	Rs. 500.00
(ii)	For Supervisor	Rs. 250.00
(iii)	For Group of agency	Rs. 1250.00
(iv)	Fire Safety Engineer.	Rs. 500.00

In Rule 84 following para shall be added. Building above 12.5 M height structural provision should be given as, below for RCC and Brick Work.

1.	I : S	1893-1986
2.	I : S	13920-1993 (It should be read with I : S 456 and I : S 1893)
3.	I : S	4326-1993 (It should be read with I : S 1983 for semi pucca construction.
4.	I : S	13827-1993
5.	I : S	13828-1993
6.	I : S	13935-1993

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
SANJAY SHUKLA, Deputy Secretary.

आवास,पर्यावरण,नगरीय प्रशासन व विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2002

क्रमांक 42/स/आपर्यानप्रविवि/2002.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (23 सन् 1973) की धारा 24 (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित विशेष क्षेत्र में, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि को, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 प्रभावशील करने की तिथि निश्चित करती है.

क्रमांक (1)	नाम (2)	क्षेत्र (3)
1.	"राजधानी क्षेत्र"	शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10/स/आ.प./2002 दिनांक 8 जनवरी 2002 में दर्शित सीमाएं.

Raipur, the 30th January 2002

No. 42/H & E/2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 24 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government is pleased to appoint the date of publication of this notification in the Gazette as the date from which the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 1984 shall apply to the following Special Area, namely :

S. No. (1)	Name (2)	Area (3)
1.	"Capital Area"	Within the limits of Special Area as defined vide Notification No. 10./ H. E. D./2002, dated 8th January, 2002.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, सचिव.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग,
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक 24-14/2001/277/आ.जा.क.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक वर्ग सलाहकार मण्डल के गठन की पूर्व अधिसूचना क्रमांक 24-14-2001/2086, दिनांक 24-7-2001, समसंख्यक आदेश क्रमांक एवं दिनांक 3-8-2001, 24-10-2001 एवं 2-11-2001 के अनुक्रम में निम्नांकित 07 अशासकीय सदस्यों को नामांकित किया जाता है.

क्रमांक (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	श्री मोहम्मद मुख्तार	नयापारा, रायपुर.
2.	श्री अब्दुल मुराद	वार्ड नं. 11, जिला कवर्धा
3.	श्री डी. नदीम	बुढ़ापारा, जिला-रायपुर
4.	श्री सगीर कुरैशी	केशकाल, (बस्तर) छ.ग.
5.	श्री मुस्लिम अली अन्सारी	महलपारा, पो. आ. बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, फोन नं. 32007
6.	श्री शैफान अली	पदनमपारा, सुकुमा, जिला दंतेवाड़ा
7.	श्री निर्मल सलूजा	पंडरिया, जिला कवर्धा फोन नं. 54121 (नि.) 54155 (का.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, अवर सचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2001

क्रमांक 4094/152/2001/स्वा.—राज्य शासन द्वारा कतिपय श्रेणियों के सेवाओं में संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग संविदा नियुक्ति नियम 2001 तैयार किये गये हैं, जो एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किये जाते है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

राज्य सरकार की राय में यह आवश्यक हो गया है कि :—

1. कतिपय श्रेणी के शासकीय सेवकों की कतिपय रिक्तियों को शीघ्रता से भरा जाय,

2. इन श्रेणियों के शासकीय सेवकों को निश्चित समय के लिये संविदा पर नियुक्त किया जाय.

अत: राज्य सरकार, कतिपय श्रेणियों के शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है :--

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

1.1 यह नियम छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग संविदा नियुक्ति नियम, 2001 कहलायेंगे.

1.2 तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम में कोई भी बात होने पर भी, यह नियम उन सभी श्रेणियों के शासकीय सेवकों पर लागू होंगे, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट करें.

1.3 यह तत्काल प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं :

2.1 "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, किसी श्रेणी के पदों के संबंध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी.

2.2 "चयन समिति" से अभिप्रेत है, किसी श्रेणी के पदों के संबंध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट चयन समिति.

3. वेतन :

किसी पद के लिये वेतन वह होगा जो कि उस पद के लिये अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो.

4. नियुक्ति का तरीका :

4.1 संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं तथा संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी इन नियमों के अंतर्गत समय-समय पर रिक्तियां विज्ञापित करेंगे.

4.2 उम्मीदवार इन नियमों के अंतर्गत नियुक्ति के लिये जिले के कलेक्टर को आवेदन करेंगे.

4.3 अनुसूची में अंकित श्रेणियों के पदों पर समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर की जायेंगी.

4.4 चयन समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी.

4.5 संविदा नियुक्ति के लिये चयन के आधार केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा जिनके पास विहित योग्यता हो. पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिये अंक निम्नलिखित अनुपात में दिये जायेंगे.

4.5.1 निर्धारित न्यूनतम योग्यता की परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर समानुपातिक रूप से 80 प्रतिशत अंक.

4.5.2 न्यूनतम योग्यता से अधिक योग्यता के लिये 10 प्रतिशत अंक.

4.5.3 न्यूनतम अनुभव से अधिक अनुभव के लिए 10 प्रतिशत अंक.

5. सेवाकाल :

संविदा पर नियुक्त किसी भी कर्मचारी का सेवाकाल 3 वर्ष से अनधिक समय का होगा. इस समय के पूर्ण हो जाने पर नियुक्ति स्वयमेव समाप्त हो जायेगी.

6. आयु :

न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा अनुसूची में विनिर्दिष्ट होगी. नियुक्ति प्राधिकारी को विशेष परिस्थिति में आयु सीमा में छूट देने का अधिकार होगा.

7. अन्य शर्तें :

7.1 इन नियमों के अधीन कोई भी नियुक्ति केवल उसी श्रेणी के रिक्त पद पर की जायेगी.

स्पष्टीकरण :—रिक्त पद का तात्पर्य ऐसे रिक्त पद से है जिसकी आने वाले 3 वर्ष के लिये लगातार रिक्त रहने की संभावना है.

7.2 इन नियमों के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्तियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जनों के लिये आरक्षण हेतु तत्समय प्रवृत्त विधि एवं नियमों के अध्ययीन होंगी.

7.3 महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षण म. प्र. सिविल सेवा (लोक सेवा एवं पदों पर महिलाओं को नियुक्ति के लिये विशेष प्रावधान) नियम, 1965 के प्रावधानों के अंतर्गत होगा.

7.4 इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे.

7.5 इन नियमों के अधीन सेवाकाल समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है.

7.6 इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति समान वेतन पाने वाले राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को देय चिकित्सा सुविधा और यात्रा भत्ता पाने के हकदार होंगे.

7.7 इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई भी व्यक्ति कोई पेंशन सुविधा का हकदार नहीं होगा.

7.8 इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति एक वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश, और 3 दिन का ऐच्छिक अवकाश पाने के हकदार होंगे, परंतु अन्य किसी प्रकार की छुट्टी अथवा अवकाश के हकदार नहीं होंगे.

7.9 इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई भी व्यक्ति निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा. नान प्रैक्टिसिंग भत्ता निश्चित और समेकित वेतन में शामिल है. उसें अन्य कोई नान प्रैक्टिसिंग भत्ता (एन पी ए) देय नहीं होगा.

7.10 सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो नियुक्ति आदेश में उल्लिखित हों.

अनूसूची

स.क्र.	पदनाम	वेतन (निश्चित एवं समेकित)	आयु न्यूनतम	अधिकतम	योग्यता	चयन समिति	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सहायक शल्य चिकित्सक.	15000	21	57	इंटर्नशिप समाप्ति के साथ एम बी बी एस, छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल में स्थाई पंजीयन हो.	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत- अध्यक्ष. 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी- सदस्य. 3. कलेक्टर का प्रतिनिधि- सदस्य.	कलेक्टर
2.	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी.	15000	21	57	इंटर्नशिप समाप्ति के साथ बी ए एम एस, छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थाई पंजीयन.	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत-अध्यक्ष. 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी- सदस्य. 3. कलेक्टर का प्रतिनिधि- सदस्य.	कलेक्टर
3.	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी.	15000	21	57	छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् में स्थाई पंजीयन के साथ बी एच एम एस अथवा डी एच एम एस.	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत-अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी- सदस्य. 3. कलेक्टर का प्रतिनिधि-सदस्य	कलेक्टर

Raipur, the 9th October 2001

No. 4094/152/2001/H—Whereas in the opinion of the State Government it has become necessary that :—

1. Certain vacancies in certain categories of employees be filled up within a short time:

2. These categories of employees be appointed on contract basis for a specified period.

Now therefore, the State Government, hereby makes the following rules relating to the recruitment to certain category of posts on contract basis :

RULES

1. Short Title, Application and commencement :

1.1 These rules may be called the Chhattisgarh Lok Swasthya, Parivar Kalyan tatha Chikitsa Shiksha Vibhag Samvida Niyukti Niyam, 2001.

1.2 Notwithstanding anything contained in any other rules for the time being in force, these rules shall apply for such categories of employees appointed on contract basis as may be specified in the schedule from time to time by the State Government.

1.3 They shall come into force with immediate effect.

2. Definitions :

2.1 "Appointing Authority", in respect of a post means, the appointing authority specified in the schedule for the concerned category;

2.2 "Selection Committee", in respect of a post means, the selection committee specified in the schedule for that category.

3. Pay :

The pay of a post shall be as specified in the schedule for the said post.

4. The Method of Appointment :

4.1 The Directorate of Health Services, and Directorate of Indian Systems of Medicine & Homeopathy shall advertise from time to time the vacancies under these rules.

4.2 Candidates shall apply to the Collector of the District for appointment under these rules.

4.3. All appointments to the categories of posts mentioned in the schedule shall be made by the appointing authority on the basis of the recommendations of the selection committee consisting of persons specified in the schedule.

4.4 The selection committee shall meet as often as required.

4.5 Selection criteria for contract appointments : Only those candidates will be considered who possess the prescribed qualifications. Marks will be awarded in the following proportion to the candidates for various categories of posts :—

4.5.1 80 per cent marks will be awarded in proportion to the marks obtained in MBBS on a pro-rata basis.

4.5.2 10 per cent marks will be awarded for extra qualification more than minimum required.

4.5.3 10 perc ent marks will be awarded for experience in excess of the minimum required.

5. Tenure :

Tenure of any employee so appointed on contract basis shall be for a period not exceeding 3 years. Appointment shall authomatically come to an end on the expiry of such period.

6. Age :

The minimum and maximum age shall be as specified in the Schedule. The appointing authority may relax the age limit in special circumstances.

7. Other Conditions :

7.1 Any appointment under these rules shall be made only against a vacant post in the category.

Explanation :—Vacant post means post vacant in that category and includes posts likely to be vacant for a continuous period of three years.

7.2 Appointments to various posts under these rules shall be governed by the law and rules in force for reservation in favour of scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes and handicapped persons.

7.3 Reservation for women candidates will be made as per provisions of the M. P. Civil Services (Special provision for appointment of women in the public services and posts) Rules, 1965.

7.4 Any person appointed under these rules shall be governed by the M. P. Civil Services (Conduct) Rules, 1965.

7.5 The services under these rules may be terminated at any time before the expiry of tenure by one month notice on either side or one month pay in lieu thereof.

7.6 Any person appointed under these rules shall be entitled to medical facilities and travelling allowance similar to, those admissible to other state government employees drawing an equivalent pay.

7.7 Any person appointed under these rules shall not be entitled to any pension benefits.

7.8 Any person appointed under these rules shall be entitled to casual leave for 13 days and optional leave for 3 days in a year, but he shall not be entitled to any other kind of leave or vacation.

7.9 Any person appointed under these rules shall not be entitled to Private Practice. The Non Practicing Allowance has been included in the fixed and consolidated pay. He shall not be paid any other Non Practicing Allowance (NPA).

7.10 Any other condition of service shall be such as may be specified in the order of his appointment.

SCHEDULE

S. No.	Name of the Category of Post	Pay (Fixed and consolidated)	Age Min.	Age Max.	Qualifications	Selection Committee	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Assistant Surgeon.	15000	21	57	MBBS with Internship completion, and Permanent Registration in Chhattisgarh/Madhya Pradesh Medical Council.	1. CEO Zila Panchayat-Chairman. 2. CMO-Member 3. Representative of Collector-Member	Collector
2.	Ayurveda Medical officer.	15000	21	57	BAMS with Internship Completion and Permanent Registration in Chhattisgarh/Madhya Pradesh Ayurvedic and Unani Medical Systems, and Naturopathy Board.	1. CEO Zila Panchayat-Chairman 2. CMO-Member 3. Representative of Collector-Member	Collector
3.	Homeopathy Medical Officer.	15000	21	57	BHMS or DHMS with Permanent Registration in Chhattisgarh/Madhya Pradesh Homeopathy Council.	1. CEO Zila Panchayat-Chairman. 2. CMO-Member 3. Representative of Collector-Member.	Collector

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर.टोण्डर, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2002

क्रमांक 259/4629/2001/स्वा.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन, अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.

   (2) यह नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसे अधिनियम जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती हैं तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाय. उक्त उपांतरणों के अध्ययोन रहते हुए अधिनियम में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किया जाय.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	अधिनियम का नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2002

क्रमांक 260/4629/2001/स्वा.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 259/4629/2001/स्वा. दिनांक 21 जनवरी, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

Raipur, the 21st January 2002

No. 259/4629/2001/H.—In exercise of the Powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganization Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government, hereby, makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation Order, 2001.

   (ii) It shall come into force in the Whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The Act, as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which was in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, is hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that throughout the Act for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the Act specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Act (2)
1.	The Madhya Pradesh Upcharika, Prasavika, Sahai Upcharika-Prasavika Tatha Swasthya Paridarshak Registrikaran Adhiniyan, 1972.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
PRAMOD SINGH, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक 1163/प्र. 1/अविअ/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक, 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	निकुम प. ह. नं. 23	12.70	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहंदी-पाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	खरखरा-मोहंदीपाट नहर परियोजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2002

क्रमांक 06/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तुरी	रांक	6.66	महाप्रबंधक एन. टी. पी. सी. सीपत.	सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व) बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2002

क्रमांक 62/भू-अर्जन/अ-82 वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	बरौदा प. ह. नं. 96	1.449	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, विधान सभा संभाग, रायपुर छत्तीसगढ़.	विधान सभा हेतु हेलीपैड के निर्माण बाबत.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 24 जनवरी 2002

क्रमांक 684/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	चिंगली प. ह. नं. 28	0.65	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	आमनेरमोतीनाला डायवर्सन के अंतर्गत नहर निर्माण बाबत.

भूमि का नक्शा तथा खसरा का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 जनवरी 2002

क्रमांक 685/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	बफरा प. ह. नं. 29	5.86	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	आमनेरमोतीनाला डायवर्सन के अंतर्गत नहर निर्माण बावत.

भूमि का नक्शा तथा खसरा का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 जनवरी 2002

क्रमांक 686/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	परसुली प. ह. नं. 29	3.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	आमनेरमोतीनाला डायवर्सन के अंतर्गत नहर निर्माण बावत.

भूमि का नक्शा तथा खसरा का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 जनवरी 2002

क्रमांक 687/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	जुनवानी प. ह. नं. 29	1.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	आमनेरमोतीनाला डायवर्सन के अंतर्गत नहर निर्माण बाबत्.

भूमि का नक्शा तथा खसरा का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 2 जनवरी 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/2अ/82/98-99.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	गढ़डोंगरी प. ह. नं. 94	2.222	कार्यपालन यंत्री, म.ज.प. बांध सं. क्र. 2, रूद्री.	सोन्दूर प्रदायक नहर के अंतर्गत गढ़डोंगरी माइनर के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 3 जनवरी 2002

क्रमांक 91/क/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक पयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू नही होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	भोगाम	2.898	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, दंतेवाड़ा.	भोगाम उद्‌वहन सिंचाई योजना हेतु नहर/नाली निर्माण योजना.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 3 जनवरी 2002

क्रमांक 93/क/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उद्वपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू नहीं होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	कतियाररास	2.20	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) पश्चिम बस्तर संभाग, बीजापुर.	दंतेवाड़ा से फरसपाल पहुंचमार्ग निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैंकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 फरवरी 2001

क्रमांक 1/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984(क्रमांक एकसन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	गंजाईपाली प. ह. नं. 28	1.478	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	साकासुन्दरी जलाशय के डूबान क्षेत्र का अतिरिक्त भू-अर्जन बावत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2001

क्रमांक क भू-अर्जन/प्र. क्र. 10/अ-82/97-98.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-बहुरता, प. ह. नं. 06

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.11 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
308/1	0.33
309	
310	
314	
308/2	0.32
309	
310	
314	
297/1	0.75
293/1	0.29
292	0.19
283	
284	
316	0.06
317	
318	
206	0.03
139/2	0.08
139/3	0.06
527	0.17
311	0.25
313	
315	
290	0.13
291	0.09
289	0.17
201/1	0.14
201/2	0.01
138	0.04
योग	3.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 जनवरी 2002

10/अ-82/98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मस्तुरी

(ग) नगर/ग्राम-जयरामनगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
45	0.39

(1)	(2)
46	0.04
47	0.06
योग 5	0.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रेल्वे सायडिंग, रेल पांत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 3 नवम्बर 2001

क्रमांक 1/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कवर्धा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्रीकला, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.13 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
533/5	0.05
534/2	0.02
535	0.18
596/1	0.11
596/2	0.02
596/2	0.04
596/9	0.18
596/10	0.17
600/2	0.07
600/3	0.08
601	0.21
योग 11	1.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हाफ नदी में पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 14 जनवरी 2002

प्र. क्र. 15/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कवर्धा
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-रबेली, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
556	0.15
571	0.16
योग 2	0.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिल्हाटी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 14 जनवरी 2002

प्र. क्र. 16/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कवर्धा
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-सूखाताल, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	214	0.20
योग	1	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बैहरसरी माइनर नं. 5.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. पी. शोरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 166 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-भवरेली, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.302 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1246/2	0.048
1268/2	0.040
1246/4	0.048
1249	0.093
1269	0.024
1252	0.024
1253	0.044
1267	0.012
1256	0.093
1257/2	0.060
1257/1	0.004
1262	0.097
1261/1	0.052
1204	0.121
1290/1	0.008
1289/1	0.008
1188	0.012
1191	0.085

(1)	(2)
1187/1	0.016
1187/2	0.081
1147	0.073
1161/16	0.253
योग 22	1.302

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लखाली माइनर नं. 7 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 167 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सोंठी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.320 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
464/4	0.045
613/1	0.263
574/1	0.012
योग 3	0.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सोंठी डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 168 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-चोरिया, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.514 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
334	0.024
335/2, 336/1	0.049
335/4	0.057
337	0.162
338/4	0.137
338/3 क	0.008
338/3 ख	0.097
338/1, 338/5	0.012
342/4	0.089
343/1, 344/1	0.117
531/1	0.150
535/6	0.073

(1)	(2)
535/7	0.028
342/5	0.032
535/3 ख	0.057
536/1	0.053
542/4	0.040
542/3	0.045
542/2	0.045
541/1 ग	0.053
342/1	0.032
343/2	0.045
344/2	
342/2	0.040
532/1	0.065
536/2	0.004
योग 25	1.514

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चोरिया माइनर नं. 3 के सब माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 169 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-अमरूवा, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.618 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18/1	0.134
18/2	0.032
19	0.231
82/7	0.036
83	0.129
82/2	0.166
82/9	0.490
81/1-2	0.061
115/2	0.077
116/2	
79/1	0.065
79/17	0.158
79/4	0.097
74	0.299
75/1	
115/4	0.028
116/4	
115/8	0.057
116/8	
115/9	0.049
116/9	
117/2	0.125
118/1	
123/12	0.004
121/3	0.004
121/2	0.077
123/24	0.097
123/21	
123/20	0.069
123/25	
123/23	0.008
120/2	0.008
123/14	0.117
योग 25	2.618

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अमरूवा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 170 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-चोरिया, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.976 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
892/5 क	0.049
892/3, 892/4	0.069
613/4	0.053
613/3	0.057
611	0.065
579/1	0.129
595/1, 596/1 क	0.328
597	0.129
598	0.065
593/2	0.032
योग 10	0.976

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चोरिया माइनर नं. 3 के सब माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

प्रकरण क्रमांक 171 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-चोरिया, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.788 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
892/5 क	0.008
891/1 ख	0.040
891/ क	0.045
891/2	0.097
935/2	0.073
896/1	0.032
896/3	0.105
934/1	0.206
935/1 क	0.085
936	0.097
योग 9	0.788

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चोरिया माइनर नं. 3 के सब माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 172 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस वात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सारागांव, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.215 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	595/1 ख	0.057
	595/1 ङ	0.053
	637/2 घ	0.073
	651/2	0.032
योग	4	0.215

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पचोरी डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 173 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-पुछेली, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकवा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	734	0.150
योग	1	0.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चाम्पा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 174 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-झर्रा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.729 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
408/1	0.045
408/4	0.239
408/3	0.162
413/2	0.105
412/2	0.020
412/10	0.073
412/14	0.085
योग 7	0.729

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लखाली माइनर नं. 7 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 175 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सारागांव, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2665/1	0.040
योग 1	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चोरिया माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 176 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-लखाली, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.062 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
635/2	0.008
635/2	0.049
634/2	0.016
635/3	0.020
635/4	0.020
636/2	0.004
634/3	0.024
634/4	0.024

(1)	(2)
633	0.061
683/2	0.024
632	0.049
631	0.065
628/6	0.063
628/8	0.138
628/2	0.206
628/7	0.036
683/1	0.040
683/3	0.016
684/2 क	0.105
684/2 ख	0.040
687/2	0.032
योग 21	1.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लखाली माइनर नं. 12 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 177 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-कमरीद, प. ह. नं. [illegible]
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
991	0.048
योग 1	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—फरसवानी उपशाखा निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 178 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-हथनेवरा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
466	0.036
योग 1	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चाम्पा शाखा नहर के व्ही. आर. व्ही. पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 179 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-चोरिया, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.624 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
903/2	0.073
1289/1	0.146
1305/1	0.057
1302	0.057
1305/2	0.057
1305/6	0.036
1305/10	0.072
1305/5 क	0.040
1382/3	0.061
1382/4	0.061
1379/2	0.065
1378/2	0.093
1378/3	0.061
1374/2	0.190
1374/1	0.117
1373	0.146
1395/3	0.024
1372/8	0.142
1396/1	0.040
1351/3	0.065
1378/1	0.020
योग 21	1.624

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चोरिया माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 180 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-हथनेवरा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.520 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
475/8	0.036
475/3	0.008
477/1	0.053
477/2	0.094
478/1	0.008
480/1	0:049
480/2	0.024
498/2	0.028
1467/2	0.090
1465	0.045
1466/2 1467/1	0.040
1477/2 1477/3	0.045
योग 12	0.520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—घठोली माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 181 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-अफरीद, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.802 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1134	0.040
1137/1	0.036
1158	0.020
1135	0.061
1137/2	0.040
1136	0.040
1121/3	0.012
1138	0.121
1129	0.036
1128	0.073
1140/11	
1140/1	0.004
1127	0.081
1121/1	0.032
1120	0.081
1121/4	
1121/2	0.053
1013	0.105
1012	0.125
1011	0.097
1010	0.028
1005/1	0.028
1005/2	0.121
1002/1	0.117
997/2	0.012
997/1	0.012
996	0.073
998	0.028
1777	0.069
1776	0.069
1778/1	0.121
1774	0.057
1785/1	0.008
1785/2	
1766/1	0.125
1766/3	
1764/6	0.020
1765	0.101
1759/4	0.146
1759/1	0.045
1760	0.105
1745	0.081
1746/1	0.028
1746/2	0.012
1741	0.085
1737	0'032
1740/2	0.008
1738	0.214
योग 44	2.802

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अफरीद डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 182 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-बैलाचुवां, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.193 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	78/1	0.040
	79/3	0.016
	85/1	0.061
	78/2	0.040
	85/2	0.057
	78/3	0.105
	78/4	0.053
	80/1	0.077
	86/2	0.045
	78/5	0.053
	80/2	0.077
	86/1	0.045
	89/1	0.016
	82	0.085
	84	0.089
	92	0.008
	83	0.069
	90	0.053
	93	0.024
	91	0.032
	95	0.134
	96/2	0.061
योग	22	1.240

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 183 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमसंक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-देवरी, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.125 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
262/1	0.114
262/3	0.020
262/4	0.016
264/5	0.146
265/3	0.127
264/4	0.004
265/4	0.020
265/1	0.174
264/2	0.149
266/1	0.012
267/3	0.036
268	0.049
270	0.069
269/1	0.20
418/1	0.012
417/1-2	0.024
415	0.049

(1)	(2)
457/4	0.024
457/1	0.028
457/5	0.004
460/3	0.016
464/1	0.012
योग 22	1.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जाजंग वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 184 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जामपाली, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.224 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
134	0.049
35	0.032
135	0.012
36	0.040
37	0.040
136/6	0.065
133/2, 3	0.045
242	0.073
39	0.028
132/1	0.425
131/4, 5, 6	0.222
40	0.024
131/1	0.129
227	0.045
131/2	0.036
275/3	0.085
274/5	0.012
241	0.190
282/2	0.069
277/2	0.045
277/1	0.065
278	0.065
279/1	0.032
276	0.073
275/1	0.045
275/5	0.065
275/4	0.040
275/6	0.040
273/2	0.032
274/4	0.144
396/2	0.057
396/3	0.146
430/2 क	0.085
269	0.008
430/2	0.146
437/1	0.061
428	0.069
427	0.069
423/2, 4	0.146
421/4	0.049
421/6	0.024
422	0.085
421/1 क	0.012
योग 43	3.224

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जाजंग वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 185 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-देवरमाल, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.981 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
165/5	0.008
165/4	0.008
165/6	0.016
165/3	0.016
165/7	0.024
165/2	0.036
158/5	0.040
320/3	0.008
166/1 क	0.016
157/1	0.077
166/1	0.016
151/2, 3, 4	0.081
322/1	0.012
207/9	0.049
269/1, 2	0.016
324/1	0.004
207/5	0.032
320/2 ख	0.032
207/3	0.008
265	0.012
669/1	0.008
320/2 क	0.008
363/1	0.024
207/1, 4	0.020
260/2	
207/6	0.016
260/1	0.024
258	0.008
261/5	0.020
323/2	0.004
262	0.012
317/4	0.045
264	0.012
266/3	0.008
266/1 क	0.008
266/7	0.024
266/8	0.008
266/6	0.032
266/5	0.045
266/4	0.032
323/8	0.012
323/4	0.004
321	0.004
320/1	0.004
319/1	0.008
320/3 क	0.024
699	0.008
317/5	0.004
317/3	0.016
317/2	0.012
317/1	0.016
योग 50	0.981

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जाजंग वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 186 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-बैलाचुवॉं, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.890 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
69	0.045
73	0.012
273	0.045
74/1	0.024
274/1	0.008
74/2	0.045
274/3	0.008
567/1	0.081
684/2	0.069
106/1	0.008
546/2	0.073
543	0.089
107/1	0.008
470/3	0.061
544/1	0.113
103	0.040
104	0.069
127	0.032
123	0.061
130	0.040
147	0.109
227	0.077
249	0.073
125/1	0.069
131	0.024
132/1	0.036
148/1	0.040
150	0.028
151/1	0.085
226/1	0.057
245/1	0.081
278	0.093
276/1	0.057
132/2	0.036
148/2	0.040
226/2	0.032
245/2	0.073
276/2	0.049
492	0.036
464	0.109
634/1	0.036
475/1	0.032
469/1	0.028
469/2	0.028
504/2	0.028
565	0.040
611/3	0.061
545	0.040
611/2	0.040
609/1	0.008
675/1	0.028
610/2	0.028
675/2	0.012
677	0.028
636/1	0.008
676	0.024
637/1	0.020
674	0.097
487	0.133
564	0.036
योग 60	2.890

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जुडगा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3). भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 187 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-डोडकी, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.631 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
54/3	0.101
380	0.085
73	0.142
74	0.077
71	0.207
70	0.093
408	0.109
409	0.061
89/1	0.097
89/2	0.118
89/3	0.077
91/1	0.077
91/4	0.045
98/6	0.073
97	0.126
98/1	0.129
98/2	0.231
283/2	0.097
100/2	0.145
100/5	
100/1	0.105
101/3	0.004
293	0.016
381/2	0.012
385/10	0.057
383/4	0.323
283/3	0.028
294/3	0.069
379/3	0.102
379/1	0.206
385/5, 6	0.114
385/8	0.149
397	0.069
399/3	0.020
399/4	0.049
401	0.157
406	0.061
योग 36	3.631

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जुडगा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—फरसवानी उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 नवम्बर 2001

क्रमांक 12/अ-82/भू-अर्जन/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-सूखाताल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	381	0.10
	382	0.04
योग	2	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हेम्प आर. बी. सी. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बमेतरा में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2002

क्रमांक भू-अर्जन/13/अ/82 वर्ष 2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-देवरूंग
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.16 एकड़

खसरा नम्बर	रकवा (एकड़ में)
(1)	(2)
74/4 क	0.26
76/3	
74/3	1.46
77	
78/1	
79	
80/3 घ	

(1)	(2)
74/4, 76/1	0.41
69/1, 74/1 ख, 75/1	0.11
69/2, 74/2 ख, 75/1	0.15
69/1, 74/1 क, 75/1	0.13
69/9, 74/2 घ, 75/4	0.11
97/4	0.08
69/8, 74/2 ग, 75/3	0.10
98/3	0.33
69/10, 74/2 ख, 75/5	0.34
97/5	0.28
79/12, 74/2 च, 75/6	0.30
1/1 च	0.20
1/1 य/2	0.20
1/1 ज, 1/1 य/1	0.20
98/1	0.03
1/1 ख/3	0.33
106/6	0.51
97/1	0.18
101/3	0.10
97/2	0.03
98/2	0.18
101/2	0.24
103/1	0.38
103/2	0.37
97/6	0.07
98/4	0.23

देवरूंग माइनर

(1)	(2)
80/4 ग/2	0.03
92/7 ग	0.05
78/3	0.65
78/4	0.01
74/4, 76/1	0.30
74/3, 77, 78/1, 79, 80/3 घ/2	0.20
85/3, 86/3	0.16
74/3, 77, 78/1, 79, 80/3 घ/1	0.33
74/3, 77, 78/1, 79, 80/3 घ/3	0.43
78/2	0.25
92/21	0.10
80/4 ग/1	0.10
80/4 घ/2	0.24
योग 41	10.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—गोलाझर जलाशय का दांयी तट नहर एवं देवरूंग माइनर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 188 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जाजंग, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.241हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8/8	0.036
8/7	0.020
16/2	0.045
16/1	0.036
8/9	0.045
17/1	0.049
45/2	0.012
19/2	0.032
1939/1	0.004
1941/1	0.012
44/1	0.032
731/1	0.142
47/1	0.008
48	0.089
87/1	0.028
55/1	0.036
54	0.008
1009/3	0.004
57/1	0.053
86/1	0.012
1940/3	0.020
86/2	0.004
147/1	0.081
152/1	0.008
448/2	0.004
446/3	0.024
450/1	0.012
451/2	0.004
448/1	0.032
451/1	0.012
446/1	0.036
446/2	0.040
444/1	0.049
739	0.028
445/3	0.004
229/2	0.016
229/3	0.036
223/4	0.024
229/5	0.004
996/1	0.053
405/1	0.012
385/1	0.040
385/3	0.061
405	0.032
855	0.089
2038	0.093
354/3	0.020
342	0.004
1001/3	0.008
357/1	0.061
357/2	0.045
341/1	0.045
345/1	0.004
1923/1	0.028
344/1	0.053
999/2	0.036
344/2	0.057
399/1	0.024
687/1	0.036
730/1	0.024
687/2	0.008
734	0.020
735	0.020

(1)	(2)
744/1	0.057
736	0.012
740	0.028
738	0.020
752/1	0.004
746/3	0.045
753/2	0.016
753/3	0.016
746/2	0.016
743	0.012
996/4	0.008
1001/2	0.020
1001/1	0.073
1005/1	0.016
1006/1	0.036
1007/1	0.032
1015	0.057
1889/1	0.020
1904	0.028
1008/1	0.032
1009/2	0.040
1012/1	0.089
1045/1	0.040
385/2	0.036
1910/1	0.053
1911/1	0.053
1911/2	0.065
1928	0.016
1923/2	0.032
1929/1	0.008
1929/2	0.049
1929/4	0.020
1938/1	0.012
1942/1	0.012
1944/3	0.020
1944/2	0.040
1944/1	0.045
1898/2	0.049
योग 101	3.241

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जुडगा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 दिसम्बर 2001

क्रमांक 189 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सिवनी, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.740 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1502/29	0.057
1502/33	0.364
1502/34	0.275
1502/35	0.372
1502/38	0.057
1502/39	0.304
1610/35	0.364
1610/40	0.372
1610/44	0.174
1610/49	0.182
1610/53	0.219
योग 11	2.740